

कार्यालय, नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत होल्डिंग धारकों के लिये


Web Site E-mail-nagarparishadsamastipur@yahoo.com

-:आम सूचना:-

- यदि होल्डिंग स्वामी द्वारा एक मंजिला से बहुमंजिला या भवन का विस्तार किया गया हो और विस्तारित भाग सम्पत्ति कर मूल्यांकन से बाहर है।
- यदि होल्डिंग स्वामी आवासीय दर पर सम्पत्ति कर का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन स्थल पर वह भवन व्यवसायिक है।
- यदि आपने नये भवन का निर्माण कराया है और अबतक सम्पत्ति कर का मूल्यांकन नहीं कराया है।
- यदि आपके मकान के पूर्व मूल्यांकन / कर निर्धारण / मापी में किसी प्रकार की त्रुटि रह गयी है या भवन ध्वस्त हो गया है।
- मोबाईल नंबर -8384038587, 8227088195 एवं 8757143647 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उपरोक्त हालत में संबंधित होल्डिंग स्वामी अपने होल्डिंग का स्व-कर निर्धारण प्रपत्र अपने-अपने वार्डों के कर संग्रहकर्ता अथवा नगर परिषद् समस्तीपुर कर विभाग से दिनांक११...जनवरी 2021 से दिनांक...२५..... जनवरी 2021 तक अचूक रूप से प्राप्त कर लें तथा उक्त निर्धारित तिथि तक संबंधित कर संग्रहकर्ता को अथवा नगर परिषद् समस्तीपुर कर विभाग में वांछित सूचनाएं / कागजातों के साथ (स्व0 कर निर्धारण प्रपत्र) को जमा का प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

अंतिम निर्धारित तिथि२५..... जनवरी 2021 को कार्यालय अवधि के बाद स्व0 कर निर्धारण प्रपत्र जमा नहीं करने वाले होल्डिंग धारकों पर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए होल्डिंग धारक जिम्मेवार होंगे।


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् समस्तीपुर